न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेरमों (तेनुघाट)।

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(ख) के अंतर्गत

परमिशन वाद संख्या 175 वर्ष 2016

आवेदक–बालेश्वर महतो एवं अन्य	क्रेता– बुधनी देवी
ग्राम –टकाहा टोला–	ग्राम – सदमाकला टोला–+++
थाना – पेटरवार जिला–बोकारो	थाना – पेटरवार जिला– बोकारो

आदेश की क्र0 सं0 एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख के साथ।
01	02	03

आदेश

यह वाद आवेदक– 01. बालेश्वर महतो पिता स्व0 छुटू महतो 02. जेठु महतो पिता स्व0 कमलू महतो ग्राम टकाहा थाना–पेटरवार 03. परनु महतो 04. रासी महतो दोनों पिता बालेश्वर महतो ग्राम सदमाकला थाना–पेटरवार जिला – बोकारो द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1),(ख) के अंतर्गत निम्नांकित जमीन, विवरण निम्नवतः–

मौजा	थाना न0	खाता न0	प्लॉट न0	कुल रकबा	बिक्री रकबा	भूमि दर्जा
टकाहा	27	04	153	1.02 ए0	20 डी0	कृषि योग्य

को वे अपना मकान बनाने एवं अन्य आवश्यक खर्च हेतु मो0 1,00,000/– (एक लाख) रूपये में क्रेता– बुधनी देवी पति रामु महतो ग्राम सदमाकला थाना–पेटरवार जिला –बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(ख) के तहत आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत किया गया तथा इस कार्यालय के पत्रांक 518/रा0, दिनांक 20.09.2016 के माध्यम से अंचल अधिकारी, पेटरवार से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरूद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिक्री की अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी, पेटरवार का पत्रांक 700 दिनांक 05.12.2016 से वांछित जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है किः–

01. बिक्रेता तथा क्रेता दोनों कुर्मी जाति का सदस्य हैं जो पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। बिक्रेता सं0 1 एवं 2 ग्राम टकाहा थाना–पेटरवार एवं बिक्रेता सं0 3 तथा 4 एवं क्रेता ग्राम सदमाकला थाना–पेटरवार जिला–बोकारो का निवासी हैं।
02. बिक्री की जाने वाली भूमि बिक्रेता के स्वयं के नाम निबंधित केवाला से क्रय की हुई जमीन है तथा इसकी जमाबन्दी पंजी–II के पृष्ठ सं0 193/III पर स्वयं बिक्रेतागण के नाम से दर्ज है। उक्त जमाबन्दी में वर्ष 2012–13 तक लगान रसीद निर्गत है।
03. प्रस्तावित भूमि भू हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि, सी0सी0एल0 अधिग्रहित क्षेत्र, से बाहर है।

उनके द्वारा बिक्रेता को प्रस्तावित भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया है।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिक्रेता बालेश्वर महतो एवं अन्य के द्वारा अपने ब्यान में बतलाया गया है कि आवेदनांकित जमीन उनके स्वयं के नाम से भू हदबन्दी

अधिनियम की धारा 16 (3) में में उनके पक्ष में न्यायालय द्वारा निर्णय दिए जाने एवं नियमानुसार उनके द्वारा जमीन हस्तांतरण के फलस्वरूप हासिल की हुई जमीन है, जिसपर वर्तमान में बिक्रेतागण का दखल कब्जा है। उक्त जमीन में से अपने अंश की जमीन को वे आवश्यकता वश बिक्री कर रहे हैं।

क्रेता का कहना है कि उन्होंने प्रस्तावित जमीन को देखी है। उक्त जमीन में कोई विवाद नहीं है, तथा वर्तमान में बिक्रेतागण के शान्ति पूर्ण दखल कब्जे में है।

उभय पक्ष अपने पक्ष में निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं:–

01. विक्रेता– स्वयं बिक्रेतागण के नाम से निबंधित केवाला 1476 दिनांक 05.06.2008 एवं लगान रसीद, की छायाप्रति।

02. क्रेता– स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति।

दोनों पक्षों का ब्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एवं अंचल अधिकारी, पेटरवार से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि बिक्रेता एवं क्रेता दोनों कुर्मी जाति के हैं, जो पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं तथा एक ही थाना एवं जिलांतर्गत निवास करने वाले हैं। आवेदित भूमि बिक्रेतागण स्वयं के के नाम निबंधित केवाला से हासिल है तथा उन्हीं के नाम से जमाबन्दी भी चल रही है, जिसे वे आवश्यकता वश बेचना चाहते हैं।

अतः आवेदक– 01. बालेश्वर महतो पिता स्व0 छुटू महतो 02. जेठु महतो पिता स्व0 कमलू महतो ग्राम टकाहा थाना–पेटरवार 03. परनु महतो 04. रासी महतो दोनों पिता बालेश्वर महतो ग्राम सदमाकला थाना–पेटरवार जिला– बोकारो को निम्नांकित भूमि :–

मौजा	खाता न0	प्लॉट न 0	कुल रकबा	बिक्री रकबा	उत्तर सीमा	दक्षिण सीमा	पूरब सीमा	पश्चिम सीमा
टकाहा 27	04	153	1.02 ए0	20 डी0	वंशी प्रसाद	बालेश्वर महतो	बालेश्वर महतो	कुईला मुण्डा
(बीस) डीस्मिल मात्र।								

मो0 1,81,000/– (एक लाख इक्यासी हजार) रूपए या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनतम भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से क्रेता– बुधनी देवी पति रामु महतो ग्राम सदमाकला थाना–पेटरवार जिला–बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें।

लेखापित एवं संशोधित

01/09/17

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता

Digitally signed by MUKESH MACHHUWA
Date: 2025.01.15 00:57:07 -08:00
Location: 192.168.1.35

01/09/17

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बेरमों (तेनुघाट)।